Section 101 : Orders of Appellate Authority

(1) The Appellate Authority may, after giving the parties to the appeal or reference an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit, confirming or modifying the ruling appealed against or referred to.

(2) The order referred to in sub-section (1) shall be passed within a period of ninety days from the date of filing of the appeal under section 100 or a reference under sub-section (5) of section 98.

(3) Where the members of the Appellate Authority differ on any point or points referred to in appeal or reference, it shall be deemed that no advance ruling can be issued in respect of the question under the appeal or reference.

(4) A copy of the advance ruling pronounced by the Appellate Authority duly signed by the Members and certified in such manner as may be prescribed shall be sent to the applicant, the concerned officer, the jurisdictional officer and to the Authority after such pronouncement.

धारा 101 : अपील प्राधिकरण के आदेश

(1) अपील प्राधिकरण अपील या प्रतिनिर्देश के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह अपील किए गए आदेश या निर्दिष्ट आदेश की पुष्टि करने या उसे उपांतरित करने के लिए उचित समझे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश धारा 100 के अधीन अपील पारित करने या धारा 98 की उपधारा (5) के अधीन प्रतिनिर्देश करने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा।

(3) जहां अपील प्राधिकरण के सदस्य उसे निर्दिष्ट किसी अपील या प्रतिनिर्देश में किसी बिन्दु या उन बिन्दुओं पर मत का अंतर रखते हैं वहां यह समझा जाएगा कि अपील या प्रतिनिर्देश के अधीन प्रश्न के संबंध में कोई अग्रिम विनिर्णय जारी नहीं किया जा सकता है।

(4) उद्घोषणा के पश्चात् सदस्यों द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित जो विहित की जाए, अपील प्राधिकरण द्वारा ऐसी उद्घोषित् अग्रिम विनिर्णय की प्रति आवेदक, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को भेजी जाएगी।